भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *4
18.07.2022 को उत्तर के लिए

जंगली हाथियों का हमला

***4. श्री के. सुधाकरन:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में, विशेषकर कन्नूर के कोट्टियूर क्षेत्र में इंसानी बस्तियों पर जंगली हाथियों के हमले का संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में इंसानी बस्तियों पर जंगली हाथियों के हमले में राज्य/वर्ष-वार कितने लोगों की जान गई;
(ग) जंगली हाथियों के हमले से प्रभावित हुए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि के किए गए आवंटन एवं उपयोग का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर केरल में, इस समस्या का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

"जंगली हाथियों के हमले" के संबंध में श्री के. सुधाकरन द्वारा दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *4 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : केरल राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान कन्नूर वन मंडल के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत मानव बस्तियों पर जंगली हाथियों के हमले में पांच लोगों की जान जा चुकी है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान जंगली हाथियों के हमले के कारण हुई मानव-मौतों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग): जंगली हाथियों के हमले से प्रभावित हुए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए केन्द्र-प्रायोजित स्कीम-हाथी परियोजना (सीएसएस-पीई) के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ): मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) को कम करने और उसके प्रबंधन सहित वन्यजीवों के प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केरल सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने हेतु कन्नूर वन मंडल के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) हाथियों का प्रवेश रोकने के लिए कोट्टियूर रेंज में वलयमचल से करियमकपु तक 10.25 किमी दीवार का निर्माण
(ii) तालीपरंबा रेंज में 38.36 किमी, कोट्टियूर रेंज में 69.5 किमी और कन्नावम रेंज में 3.00 किमी सौर बाड़ का निर्माण।
(iii) वियतनाम कॉलोनी से निलाई तक 3.00 किमी की हाथी-रोधी खाई का निर्माण।
(iv) पैय्यावूर ग्राम पंचायत की वन सीमा में 11.5 किमी की लटकती हुई बाड़ की स्थापना।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों से भी देश में मानव-हाथी संघर्ष कम करने में मदद मिलती हैं :

(i) मंत्रालय देश में हाथियों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
(ii) मानव-हाथी संघर्ष को कम करना और प्रतिशोध में हाथियों की हत्या करने से बचना। जंगली हाथियों द्वारा स्थानीय समुदायों को पहुंचे जान-माल के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने दिनांक 9 फरवरी, 2018 के पत्र सं. 14-2/2011/डब्ल्यूएल-1 (भाग) के माध्यम से वन्यजीव तस्करी से संबंधित अनुग्रह राहत राशि दरों में वृद्धि संबंधी नियमों को अधिसूचित किया है।

(iii) इस मंत्रालय द्वारा अनेक केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है जो जल स्रोतों को बढ़ाने, चारे वाले वृक्षों का पौधरोपण, बांस संबंधी पुनरूद्भव आदि द्वारा हाथियों के प्राकृतिक पर्यावासों में सुधार करने में योगदान देता है। ऐसी स्कीमों में वन्यजीव पर्यावास का विकास और बाघ परियोजना शामिल है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम हाथियों सहित वन्यजीव पर्यावासों के विकास, पशु बचाव केंद्रों आदि की स्थापना के लिए निधियों के उपयोग के प्रावधान भी करता है जो मानव-हाथी संघर्ष में कमी लाने में भी योगदान देते हैं।

(iv) मंत्रालय द्वारा मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए दिनांक 06.10.2017 को दिशानिर्देश जारी किए गए और इस संबंध में हाथी बहुल राज्यों से इसके कार्यान्वयन का अनुरोध किया गया है।

(v) संचालन समिति की 16वीं बैठक के दौरान 29 अप्रैल, 2022 को मानव-हाथी संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए फ्रंटलाइन कार्मिकों हेतु एक क्षेत्र-नियमावली जारी की गई।

(vi) हाथी संरक्षण के संबंध में ध्यान केंद्रित करने और तालमेल बनाए रखने के लिए तथा संघर्ष को कम करने के लिए संकटग्रस्त हाथी पर्यावासों को 'हाथी रिज़र्व' के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इस अधिसूचना को मंत्रालय में गठित संचालन समिति के अनुमोदन से ही लागू किया जाता है। अभी तक 14 हाथी बहुल राज्यों में 31 हाथी रिज़र्व स्थापित किए जा चुके हैं।

****

अनुबंध -I

"जंगली हाथियों के हमले" के संबंध में श्री के. सुधाकरन द्वारा दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *4 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गत तीन वर्षों के दौरान हाथियों के हमले से हुई मानव मौतें

क्रमांक	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	4	6	एन.आर.
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1
3	असम	75	91	63
4	छत्तीसगढ	77	42	64
5	झारखंड	84	74	133
6	कर्नाटक	29	23	17
7	केरल	12	20	25
8	महाराष्ट्र	1	एन.आर.	0
9	मेघालय	4	6	2
10	नगालैंड	0	0	0
11	ओडिशा	117	93	112
12	तमिलनाडु	58	57	37
13	त्रिपुरा	2	1	2
14	उत्तर प्रदेश	6	1	0
15	उत्तराखंड	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
16	पश्चिम बंगाल	116	47	77
कुल		**585**	**461**	**532**

*एनआर- राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अनुबंध-II

"जंगली हाथियों के हमले" के संबंध में श्री के. सुधाकरन द्वारा दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *4 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जंगली हाथियों के हमले से प्रभावित हुए व्यक्तियों को केंद्र प्रायोजित योजना "हाथी परियोजना" के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22
1.	आंध्र प्रदेश	70.00	61.60	27.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	125.00	20.00
3.	केरल	150.00	157.00	210.00
4.	महाराष्ट्र	20.00	35.00	0.00*
5.	मेघालय	15.00	0.00*	124.20
6.	नगालैंड	103.00	60.00	80.00
7.	ओडिशा	160.00	375.00	400.00
8.	तमिलनाडु	91.00	0.00*	100.00
9.	त्रिपुरा	10.00	15.00	0.00*
10.	उत्तर प्रदेश	5.00	0.00*	0.00*
11.	पश्चिम बंगाल	50.00	38.61	0.00*

*** राज्य द्वारा एपीओ में क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई मांग नहीं की गई थी।**